इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343] भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 अगस्त 2021—भाद्र 1, शक 1943

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्र. एफ—1—35—2014—बयालीस(1).— मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटैक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः—

4. पॉलीटैक्निक महाविद्यालयों में रिक्त प्राचार्य के पदों पर शासकीय संवर्ग के ऐसे विभागाध्यक्ष / प्रवर श्रेणी व्याख्याता जो कि प्राचार्य पद की निर्धारित योग्यता रखते हैं, को एआईसीटीई विनियम—2019 में उल्लेखित चयन प्रक्रिया अनुसार 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है.
5. संस्थाओं में रिक्त विभागाध्यक्ष के पदों पर ए.आई.सी.टी.ई. की विनियम—2019 में उल्लेखित प्रक्रिया यथा चक्रानुक्रम में संस्था प्रमुख द्वारा विभागाध्यक्ष के पद पर समान कैडर के व्यक्ति को पदस्थ किया जा सकता है.
6. शासकीय संवर्ग का व्यक्ति किसी भी संस्था के प्राचार्य पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.
7. शासकीय संवर्ग के चयनित व्यक्ति का प्राचार्य पद के लिए आदेश शासन स्तर से जारी किया जायेगा.
8. नियुक्ति उपरांत यदि शासन अथवा संस्था प्रबंधन द्वारा सीधी भर्ती से प्राचार्य की पदस्थापना की जाती है तो ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी अपनी मूल पदस्थापना में स्वमेव वापिस हो जायेगा.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registration Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Services (Recruitment) Rules, 2004, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,

In rule 6, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted namely:-

"(4) For the vacant posts of Principal in polytechnic colleges, such HOD/Selection Grade Lecturer of the government cadre who have the prescribed qualification for the post of Principal can be appointed for 5 years as per the selection process mentioned in the AICTE Regulations, 2019;

(5) In the institutions on the vacant posts of HOD according to the process mentioned in the AICTE Regulations, 2019, a person of the same cadre can be posted on the post of head of Department by the Head of the institution in rotation basis;

(6) A person who belongs to the Government cadre can submit an application for the post of Principal of any institution;

(7) Orders will be issued from the Government level for the post of Principal of the selected person of the government cadre;

(8) After appointment, if the Principal is posted by direct recruitment by the government or institution management, in such situation, the authority appointed under this arrangement will automatically return to its original posting.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.